न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी: नानूराम सैनी, (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या: 60 / 2013

1. तोलाराम
2. सुखराम
3. सहीराम
4. रामनारायण

पिसरान चूनाराम जाति जाट निवासी स्वरूपदेसर तहसील व जिला बीकानेर।

प्रार्थीगण,,

–:बनाम:–

1. सेवाराम पुत्र श्री मोतीराम जाति माली निवासी सुजानदेसर तहसील बीकानेर।
2. गोरधन
3. हरि
4. छोटू
5. माणक
6. मुन्ना

पुत्रगण स्व0 श्री बाबूलाल जाति माली निवासी सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।

7. मनोज्ञ
8. तेजाराम
9. प्रेम
10. ओमप्रकाश
11. कुन्दन
12. लक्ष्मी
13. कन्चू

पिसरान स्व0 श्री बुलाकी जाति माली निवासी सुजानदेसर तहसील बीकानेर।

14. सोहन पुत्र श्री जैसा जाति माली निवासी सुजानदेसर तहसील बीकानेर।
15. रामदेव पुत्र मोडाराम जाति माली निवासी सुजानदेसर तहसील बीकानेर।
16. शंकरलाल पुत्र मोडाराम जाति माली निवासी सुजानदेसर तहसील बीकानेर।
17. इमरती बेवा द्वारका जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील बीकानेर।
18. धनसुख
19. सरस्वती
20. द्रोपदी

पुत्रगण श्री मोटाराम जाति माली निवासी सुजानदेसर तहसील बीकानेर।

21. चोरूलाल
22. कालूराम

पुत्रगण मोटाराम जाति माली निवासी सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।

23. बंशीलाल पुत्र श्री शेराराम जाति माली निवासी गंगाशहर बीकानेर।
24. पुष्पा पत्नी जेठमल जाति माली निवासी गंगाशहर बीकानेर।
25. जेठमल पुत्र श्री फकीरचंद जाति माली निवासी किश्मीदेसर तहसील बीकानेर।
26. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

अप्रार्थीगण...

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251 'ए'
राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम,1955

उपस्थितिः

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी,अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री रामकुमार सिंह तंवर, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 7 ता 13की ओर से जो बाद में स्वेच्छा से इक तरफा होकर अनु0।
3. श्री दौलत सिंह तंवर, एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 17 की ओर से।
4. श्री हरिश मदान अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 23 व 25 की ओर से।
5. पेरोकारराज राज्य अप्रार्थी संख्या 26 की ओर से।
6. अप्रार्थी संख्या 1,2 ता 6, 14, 15, 16, 18 ता 22 व 24 के विरूद्ध कार्यवाही एक पक्षीय है।

–:आदेश:–

दिनांकः 14/02/18

08.10.2013 को विचाराधीन प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ।

2– संक्षेप में प्रकरण से संबंधित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 25 के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 को तरतीबी पक्षकार व अप्रार्थी संख्या 26 राज्य को फोरमल पक्षकार बनाया गया। प्रार्थीगण के कथनानुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 25 की कृषि भूमियां ग्राम बच्छासर तहसील बीकानेर की रोही में स्थित है। प्रार्थीगण की आरजियात खसरा नंबर 610 तादादी 1.07 हैक्टर व खसरा नंबर 611 तादादी 12.15 हैक्टर कुल तादादी 13.22 हैक्टयर जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 सहखातेदार के रूप में दर्ज है, के उत्तरी तरफ अप्रार्थी संख्या 2 ता 20 के खातेदारी खेत खसरा नंबर 592 तादादी 2.12 हैक्टर खसरा नंबर 593 तादादी 0.47 हैक्टर, 596 तादादी 6.56 हैक्टर व खसरा नंबर 600 तादादी 18.11 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 21 ता 25 का खेत खसरा नंबर 597 तादादी 1.21 हैक्टर, खसरा नंबर 598 तादादी 9.00 हैक्टर व खसरा नंबर 599 तादादी 0.73 हैक्टर कुल तादादी 10.94 हैक्टर स्थित है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 610, 611 मे आवागमन के लिए कहानी रास्ता है, जो प्रार्थीगण के खेतों में जाने के लिए एकमात्र रास्ता है। लेकिन प्रार्थीगण संख्या

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

2 ता 25 जिनकी खातेदारी में यह रास्ता उपलब्ध है, प्रार्थीगण को आवागमन के लिए पर्याप्त रास्ता भी नहीं दे रहे हैं जबकि प्रार्थीगण इसके एवज में कानून में विहित राशि भी संदत करने हेतु तैयार है। अतः प्रार्थना की गयी कि मौजूदा चल रहे रास्ता प्रार्थीगण के आवागमन हेतु पर्याप्त चौड़ाई में स्वीकृत फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन करने के आदेश तहसीलदार बीकानेर को दिये जावें।

3– इस प्रार्थना–पत्र के अप्रार्थीगण को नोटिस भिजवाये गये तथा साथ ही मौके की जांच कर जांच रिपोर्ट तहसीलदार बीकानेर से मंगवायी। जो तहसीलदार, बीकानेर के पत्र क्रमांकः 128 दिनांकः 06.02.2014 जिसके साथ हल्का पटवारी द्वारा की गयी मौका रिपोर्ट न्यायालय में दिनांकः 12.03.2014 को प्राप्त होने पर पत्रावली के शामिल करायी गयी। अप्रार्थीगण संख्या 7 से 13 की ओर से श्री रामकुमार सिंह तंवर एडवोकेट ने उपस्थित आकर अपना अभिभाषक–पत्र दिनांकः 04.02.2014 को न्यायालय में दाखिल किया लेकिन वकालतनामा प्रस्तुत करने के उपरान्त न तो वे न्यायालय में उपस्थित ही आये और ना ही कोई जवाब प्रार्थना–पत्र व अन्य कोई पक्षकथन ही प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 23 व 25 की ओर से श्री हरीश मदान अभिभाषक ने उपस्थित आकर दिनांकः 12.03.2014 को अपना अभिभाषक–पत्र न्यायालय में पेश किया और दिनांकः 19.08.2014 को जवाब प्रार्थना–पत्र व फैहरिस्त दस्तावेज के साथ संलग्न दस्तावेज पेश किये। अप्रार्थी संख्या 17 की ओर से श्री दौलत सिंह तंवर, एड. ने अपना वकालतनामा दिनांकः 21.01.2014 को न्यायालय में प्रस्तुत किया। राज्य की ओर से पेरोकारराज उपस्थित आये। शेष अप्रार्थी संख्याः 1, 2 ता 6, 14, 15, 16, 18 ता 22 व 24 बावजूद नोटिस तामिल के हाजिर अदालत नहीं आये इसलिये उनके विरूद्ध कार्यवाही एक पक्षीय अमल में ली गयी।

4– अप्रार्थी संख्या 17 व 23 व 25 के अप्रार्थीगण के अभिभाषकों ने दिनांकः 18.09.2014 को तहसील से प्राप्त मौका रिपोर्ट को इक तरफा तौर पर तथा प्रार्थीगण के कहने के आधार पर तैयार करने के आरोप लगाते हुए अपनी आपत्तियां पृथक–पृथक प्रार्थना–पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की। इस पर न्यायालय ने तहसीलदार से पुनः साईट जांच कर जांच रिपोर्ट मंगवायी। जो प्राप्त होने पर

उप खण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

शामिल मिसल करवायी गयी। अप्रार्थी संख्या 17 की ओर से कोई जवाब मूल प्रार्थना–पत्र का प्रस्तुत नहीं किया है।

इस प्रकार प्रार्थीगण के प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के अप्रार्थी संख्या 23 व 25 ही एक मात्र contender है।

5– प्रार्थना–पत्र के समर्थन में बहस करते हुवे प्रार्थीगण के योग्य अभिभाषक ने कथन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 23 व 25 ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में उक्त भूमि के संबंध में स्थगन आदेश होने का तथ्य लिखा है जबकि धारा 251 'ए' के प्रार्थना–पत्र निस्तारण में स्थगन आदेश कोई प्रभाव नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि प्रार्थीगण के खेतों में आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता मौके पर नहीं हैं तथा मौजूदा रास्ता सदामत से चला आ रहा है, जिसके संबंध में नकल नक्शा ग्राम बच्छासर प्रस्तुत कर भूमियों की स्थिति को बताया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा चल रहे रास्ते को बंद कर दिये जाने पर तहसीलदार, बीकानेर के यहां धारा 251 की कार्यवाही में रास्ते को पुलिस की मदद से खुलवाया गया था जिसके सबूत पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये है। उन्होंने यह भी बहस की कि प्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में मौके पर अन्य रास्ता होने के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताये है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 10 फुट चौड़ा रास्ता मौके पर है, जबकि उनकी आवश्यकता के अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता की मांग है। जैसा कि अधिनियम में 30 फुट चौड़ा रास्ता का प्रावधान है।

6– इस बहस के विरोध में योग्य अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 23 व 25 की ओर बहस रही है कि जिस रास्ते को प्रार्थीगण स्वीकृत करवाना चाहते हैं उस पर न्यायालय सहायक कलक्टर, बीकानेर द्वारा स्थगन आदेश जारी कर रखा है। इस स्थगन आदेश के प्रभावशील रहते अंतर्गत धारा 251 'ए' के प्रार्थना–पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चलायी जा सकती। उन्होंने अपनी इस बहस के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को Vague बताते हुए इसे खारिज करने का निवेदन किया।

7– मैंने विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये परस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया है तथा पत्रावली का आधोपोत अध्ययन एंव अवलोकन किया है तथा संदर्भित विधि को भी पढ़ा है।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय को धारा 251 'ए' के प्रार्थना–पत्र को निस्तारण करते समय अधिनियम के अध्याय XII के नियम 69 व 70 के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। इन नियमों में यह स्पष्ट रूप से प्रावधित है कि मार्ग की नितान्त आवश्यकता को ध्यान में रखा जाकर ही संदर्भित खातेदारी की जोत में से रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है न कि उसकी केवल सुविधा को ही ध्यान में रखा जावे। इन प्रावधानों के मद्देनजर प्रार्थीगण का केस देखा जाए तो उनका प्रार्थना–पत्र धारा 251 'ए' के Ingredient तहसीलदार, बीकानेर द्वारा धारा 251 की पूर्व में उनके समक्ष चली कार्यवाही में दिये गये आदेशों की अनुपालना में अप्रार्थीगण द्वारा बंद किये गये रास्ते को पुलिस की इमदाद से खोला गया कार्यवाही के प्रस्तुत अभिलेखों की प्रतियां व मौजूदा मौके की रिपोर्ट जो तहसीलदार से प्राप्त की गयी में अंकित तथ्यों से Full Fill हो जाते हैं। जहां तक अप्रार्थीगण की ओर से लिया गया प्रतिवाद कि भूमि जैर प्रार्थना–पत्र में न्यायालय सहायक कलक्टर, बीकानेर के स्थगन आदेश के अस्तित्व में होते हुवे मौजूदा कार्यवाही नहीं चलायी जा सकती है का प्रश्न है, हमारी सुविचारित राय में कोई महत्व नहीं रखता है क्योंकि अप्रार्थीगण को यह भली–भांति ज्ञात था कि तहसीलदार द्वारा बंद रास्ता खुलवाने के उपरान्त प्रार्थीगण धारा 251 'ए' की कार्यवाही उनके विरूद्ध करेंगे। जिसके पूर्व ही उन्होंने अंतर्गत धारा 188 आर. टी. ए. का वाद व उसके अंतर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर, बीकानेर की अदालत में दायर कर रास्ते की भूमि के संबंध में स्थागन आदेश अपने हक में व प्रार्थीगण के विरूद्ध प्राप्त कर लिया जबकि उन्हें इस संबंध में अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने की Remdy प्राप्त थी। लेकिन उन्होंने यह उपचार नहीं कर अंतर्गत धारा 188 आर. टी. ए. के प्रस्तुत वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा रास्ते के संबंध में प्राप्त कर लिया जो उनके आचरण को सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि रास्ते के संबंध में कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रक्रम पर यह तो निर्णित हो चुका है कि प्रार्थीगण की [redacted]दारी खेत खसरा नंबर 610 व 611 में आवागमन के लिए विपक्षीगण के खेत खसरा नंबर 593, 596, 597 व 598 की खातेदारी में रास्ता पूर्व से चला आ रहा है प्रार्थीगण का यह केस है कि मौजूदा रास्ते की चौड़ाई 10 फुट है जबकि उन्हें 20 फुट चौड़ाई के रास्ते की आवश्यकता है। जो उन्हें स्वीकृत किया जावे। प्रकरण

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

की स्थिति व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुवे हम प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र में रास्ते को चोड़ा करने की मांग को 6 फुट रास्ता और बढ़ाये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते है क्योंकि आधुनिक खेती में प्रयुक्त होने वाले औजारों इत्यादि को खेत में लाने–ले जाने हेतु रास्तों की चौड़ाई 16 फीट होना पर्याप्त होती है। अतः हम तहसीलदार, बीकानेर को अतिरिक्त 6 फुट चौड़ाई में बढ़ाये गये रास्ते की अप्रार्थीगण की जमीन का नापतोल कर उनके खाते मे से कम की गयी भूमि को DLC दर से नियमानुसार राशि निर्धारित कर बनने वाली राशि प्रार्थीगण से यथा बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से ली जाकर अप्रार्थीगण को उनके बैंक खातों में जमा करवायी जाकर रास्ते की जमीन का इन्तकाल तस्दीक कर रास्ते का कब्जा प्रार्थीगण को आवागमन हेतु दिया जाकर पालना रिपोर्ट यथा समय 1 माह में इस न्यायालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करने के प्रयास किये जावें। प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार, बीकानेर को पालनार्थ भिजवायी जावें। प्रकरण में अधिनियम में निर्धारित अवधि से बहुत ज्यादा समय जाया हो चुका है। अतः अब त्वरित कार्यवाही की जावे।

9– आदेश आज दिनांक 14/02/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नानूराम सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

क्रमांक: SDO/रीडर/18/ 80 दि. 15-2-18

प्रतिलिपि तहसीलदार बीकानेर को नियमानुसार पालनार्थ

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर